न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर: 67/2006
उनवानी प्रकरण वाद 1- श्रीमती देवा श्री भरतलाल
2- राजवीर
3- महेन्द्र
4- कृष्ण कुमार
पिसरान भरतलाल, समस्त जाति धोबी निवासी ग्राम मधारिया तहसील राजाखेड़ा

5- श्रीमती मीरादेवी पुत्री श्री भरतलाल पत्नी श्री मुन्शीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मधारिया तह० राजाखेड़ा हाल निवासी ग्राम धीतापुरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा (उ०प्र०)
6- श्रीमती कमलेश पुत्री श्री भरतलाल पत्नी श्री राजेश कुमार जाति धोबी निवासी ग्राम मधारिया तहसील राजाखेड़ा हाल निवासी ग्राम भीमनगर वाटर वर्क्स के पास भिण्ड (म०प्र०)

---- वादीगण

बनाम

1- बंगाली
2- शिवचरन
3- रमेश
4- लाखीमन
5- हरीसिंह
पिसरान भवानी, समस्त जाति धोबी निवासी ग्राम मधारिया तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर

6- रमाकिशन उर्फ रामदयाल पुत्र भवानी (सैयाने दावा मृत)
7- मिट्ठीलाल पुत्र जगदीश जाति धोबी निवासी ग्राम मधारिया तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर

---- प्रतिवादीगण

8- हाकिमसिंह पुत्र श्री प्यारे जाति धोबी निवासी बोदला-चौराहा आगरा (उ०प्र०)
9- मुन्ना पुत्र शंकर जाति धोबी निवासी ग्राम मधारिया तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा
11- उप पंजीयक, राजाखेड़ा

---- तरतीबी प्रतिवादीगण

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः ---

वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं शुद्धि इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बटवारा काश्त आधीन धारा 88, 188 एवं 53 आर॰टी॰ एक्ट।

उपस्थित :- श्री किशन सिंह त्यागी एड॰, वकील वादीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 14-8-2019

वादीगण द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53 आर॰टी॰ एक्ट इस न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी ख॰नं॰ हाल 180 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा, स्थित ग्राम मघारिया जिसका साबिक नम्बर 122 मिन है। तथा (ब) में वर्णित आराजी ख॰न 181 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा जिसके साबिक नम्बर 122 मिन एवं 123 मिन है तथा (स) में वर्णित आराजी ख॰न हाल 263 रकबा 0 बीघा 04 बिस्वा, एवं ख॰नं॰ 332 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा है इनके साबिक नम्बर 178 एवं 189 तथा ख॰न 332 का साबिक नम्बर 156 है। उपरोक्त समस्त आराजी ग्राम मघारिया तहसील राजाखेड़ा में स्थित है। उक्त में से मद संख्या 1(अ) में वर्णित आराजी के साबिक खातेदार वादीगण पूर्व पुरुष भरतलाल व रामदयाल संयुक्त रूप से, अविभाजित खातेदार काश्तकार थे। रामदयाल की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व लावल्द हो गयी थी। जिसका उत्तराधिकारी मृतक के भाई भरतलाल पर प्रकार हुआ। वादपत्र की मद संख्या 1(ब) में वर्णित आराजी के साबिक खातेदार वादीगण के पूर्व पुरुष भरतलाल व रामदयाल 1/3 भाग के तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के पूर्व पुरुष भवानी एवं प्रतिवादी संख्या 7 संयुक्त रूप से 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। वाद पत्र की मद संख्या 1(स) में वर्णित विवादित आराजी के साबिक खातेदार वादीगण के पूर्व पुरुष भरतलाल व रामदयाल 1/3 भाग एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत-6 के पूर्व पुरुष भवानी व प्रतिवादी संख्या-7, 2/3 भाग के अन्दर हिस्सा 1/2 के थे तथा शेष 1/2 भाग के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के पूर्व पुरुष प्यारे व शंकर तथा रामचरन थे। रामदयाल की मृत्यु आज से 50 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः—3

वर्ष पूर्व लाऔलाद बिना अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किये हो चुकी है। उसका समस्त तर्का उसके भाई भरतलाल पर प्रकान्त हुआ। रामचरन की मृत्यु भी हो चुकी है जो लाऔलाद हुई है, उसका समस्त तर्का उसके भाई प्यारे व शंकर पर प्रकान्त हुआ। प्यारे का देहान्त हो चुका है, उसका समस्त तर्का उनके नजदीकी वारिस हाकिम प्रतिवादी संख्या 8 पर प्रकान्त हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या में शंकर का भी देहान्त हो चुका है, उसका समस्त तर्का उनके नजदीकी वारिस मुन्ना प्रतिवादी संख्या 9 पर प्रकान्त हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के सम्बन्धों के सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार से है कि इनके पूर्व पुरुष नारायण थे, उनके तीन पुत्र बुद्धा भवानी एवं मिठ्ठीलाल हुए। जिनमें से बुद्धा एवं भवानी की मृत्यु हो चुकी है। बुद्धा के वारिस उनके दो पुत्र भरतलाल व रामदयाल हुए। रामदयाल लाऔलाद फौत हो गये। उनकी मृत्यु के समय भरतलाल जीवित थे इसलिए उनका समस्त तर्का भरतलाल पर प्रकान्त हुआ। भरतलाल भी फौत हो गये हैं। उनके वारिस वादीगण संख्या 1 लगायत 6 हैं। भवानी पुत्र नारायण भी फौत हो चुके हैं। उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 हैं। मिठ्ठीलाल पुत्र नारायण जीवित हैं एवं प्रतिवादी संख्या 7 हैं। वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में रामदयाल की मृत्यु के पश्चात प्रशासनिक रूप से खातेदारी काबिज होना तथा भूमि का उपभोग उपयोग करना बताया है तथा मद संख्या 1(अ) में वर्णित आराजी पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का 2/3 हिस्से का खातेदार होना तथा काबिज काश्त होना बताया है तथा वाद पत्र की मद संख्या 1(ब) में वर्णित आराजी में अन्दर हिस्सा 1/2 में 1/3 हिस्से पर वादीगण का खातेदार काश्तकार होना एवं काबिज काश्त होना बताया है 2/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा 7 का खातेदार काश्तकार होना एवं काबिज काश्त होना बताया है तथा शेष 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 8 व 9 होना एवं काबिज काश्त होना बताया है। दावा दायर

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

से तीन माह पूर्व वादीगण विवादित कृषि भूमि में काश्त
की देखभाल कर रहे थे तो उस समय प्रतिवादी सं.
7 ने मौके आकर कहा कि हमारे पूर्वज मवासी
एवं छिद्दीलाल ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से साज करके
तुम्हारे पूर्वज भरतलाल व राजपाल एवं प्रतिवादी सं.
8 व 9 के पूर्वज छोटे व सेवक व राजपाल का नाम
राजस्व अभिलेख से कटवाकर अपने अकेले के नाम दर्ज
किया और मवासी की मृत्यु पश्चात उसके नाम की
जगह पर हमारा नाम राजस्व अभिलेख में चढ़ चुका है एवं
प्रतिवादी सं. 7 से बिना विक्रय मूल्य लिये अपने नाम बैनामा
करा लिया है जिसका दाखिल खारिज भी हमारे नाम हो चुका
है इसलिए आइंदा से इस विवादित कृषि भूमि को
अकेले जोतेंगे तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे जबरदस्ती करोगे तो
किसी अप्रिय घटना का भय देंगे तब वादीगण ने उपरोक्त
धमकी से चकित होकर विवादित भूमि की खतौनी सम्बंधी
नकलें प्राप्त की तब वादीगण को प्रतिवादीगण की साजिश का
पता चला कि उनके पिता का नाम विवादित आराजी से
हटवा दिया जाकर अकेले के नाम दर्ज कराया गया है जो गलत
है बन्दोबस्त विभाग को बिना उचित कारण के इन्द्राज बदलने
का अधिकार नहीं है। इससे पूर्व वादीगण को इसकी जानकारी
नहीं थी। वादीगण बन्दोबस्त विभाग के गलत इन्द्राज को दुरुस्त
करा पाने के अधिकारी है। अतः वादीगण द्वारा वाद पत्र के अंत
में प्रार्थना की है कि उन्हें वाद पत्र की मद संख्या 1 (अ) में
वर्णित आराजी पर एकमुश्त रूप से खातेदार काश्तकार, तथा
1 (ब) में वर्णित आराजी पर 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार तथा
1 (स) में वर्णित आराजी पर अन्दर हिस्सा 1/2 में 1/3 का खातेदार
काश्तकार एवं काबिज काश्त घोषित किया जावे तथा नामान्तरण
एवं खाता पृथक कराया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7
को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित
आराजी में से वादीगण को उनके हिस्से पर से बेदखल न करें
कब्जा काश्त करने से नहीं रोकें रहन बय, मुन्तकिल न करें
इसी अनुसार दावा डिक्री करने बाबत निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः--5

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण
को पहिले सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या
1 ता 6 अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित
आये उनकी ओर से जवाब दावा पेश किया गया
जिसमे उनके द्वारा वादपत्र के कथनों से सामान्य रूप
से इन्कार करते हुए कथन किया है कि भरतलाल पुत्र
बुद्धा से वादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादीगण
भरतलाल के वारिस नहीं है वरन भरतलाल अविवाहित फौत
हुए व उसकी वादिया श्रीमोती से शादी नहीं हुई। विवादित
आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी थी
उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारीगण तथा वारिस काश्तकार
की हैसियत से आज तक काबिज काश्त है। भरतलाल लावल्द
फौत हुआ था। वादीगण किसी भरतलाल पुत्र भरत के वारिस
हैं जो आमतौर चौहान का निवासी था। बुद्धा के पुत्रगण
भरतलाल व रामदयाल की शादी नहीं हुई थी दोनों अविवाहित
फौत हुए इसलिए वादीगण भरतलाल के वारिस नहीं हो सकते हैं
भरतलाल व रामदयाल के वारिस उत्तरदातागण ही है। यह दावा
अनुचित लाभ प्राप्त करने की दुर्भावना से प्रस्तुत किया
गया है जो पोषणीय न होकर खारिज होने योग्य है। यदि
वादीगण यदि स्व० भरतलाल के वारिस है तो इस सम्बन्ध में
दीवानी न्यायालय से अपने को भरतलाल पुत्र बुद्धा का
वारिस घोषित करावे। दावा पोषणीय नहीं है। खारिज
होने योग्य है इसलिए खारिज किया जावे।

तदुपरान्त प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीहात
कायम की गयी :-

1- आया विवादित आराजी जिसका विवरण वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है।

2- आया वादपत्र की चरण संख्या 1(क) में वर्णित आराजी में वादीगण एकात्रित रूप से 1(ख) में वर्णित आराजी में 1/2 भाग में 1/3 भाग के तथा 1(ग) में वर्णित आराजी में 1/2 भाग में 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा आधिपत्यधारी है

क्रमश-6

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश-7

तथा इसी प्रकार की अपने नाड़ की स्वत्व घोषणा करा पाने के अधिकारी हैं। ---- वादीगण

3- आया वादीगण संयुक्त विवादित आराजी का बटवारा बाहै मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने एंव लगान पृथक पृथक करा पाने के अधिकारी है ---- वादीगण

4- आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, ---- वादीगण

5- आया वादीगण भरतलाल की मृत्यु के वारिसान नहीं है। भरतलाल लावल्द फौत हुआ था जिनके प्रतिवादीगण वारिसान है। ---- प्रतिवादीगण

6- आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वजों के काश्त व खातेदारी व कब्जे की है। ---- प्रतिवादीगण

7- आया वादीगण सिविल कोर्ट से वाद घोषित करा पाने के अधिकारी है। ---- प्रतिवादीगण

8- अनुतोष

प्रतिवादीगण एव उनके अभिभाषकगण दिनांक 4/4/19 तक ही न्यायालय पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए उसके बाद दिनांक 11-4-19 को उनके न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उनकी ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

साक्ष्य वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामान्तरकरण 1392 ग्राम महारिप प्रदर्श-1, नकल नामान्तरकरण क्रमांक 1243 ग्राम पहाड़ी प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र भरतसिंह उर्फ भरतलाल प्रदर्श-3, शिजरा प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत 2060-63 ग्राम महारिप प्रदर्श-5, नकल मिलान खेवट प्रदर्श-6, नकल जमाबन्दी सं. 2070-73 ग्राम महारिप प्रदर्श-7

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः-7

नकल जमाबन्दी सं० 2011-13 ग्राम मदारपुर प्रदर्श-8, नकल जमाबन्दी सं० 2010-14 ग्राम मदारपुर प्रदर्श-9, नकल जमाबन्दी संम्वत 2018-21 ग्राम मदारपुर प्रदर्श-10, नकल जमाबन्दी प्रबन्ध विभाग सं० 2022 प्रदर्श-11, नकल जमाबन्दी सं० 2060-63 ग्राम मदारपुर प्रदर्श-12 पेश किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में बयान महेन्द्रसिंह PW-1, बतौर गवाह जगदीश PW-2, विनुआराम PW-3, किशना PW-4, मनमायान PW-5 कराये गये हैं।

साक्ष्य प्रतिवादीगण मे दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण एकपक्षीय रूप से सुनी। उनके द्वारा अपनी बहस मे वादपत्र के अनुसार कथनों को दोहराया तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से दावा को पूरी तरह साबित होना बताते हुए दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा उनके द्वारा वर्तमान मे बटवारे के अनुतोष वापस लेने हेतु भी कथन करते हुए स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष को प्रदान करते हुए दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन मे उनके द्वारा RRT 2008 (1) (HC) पृष्ठ 151, RRT-2007 (1) पृष्ठ 339 एवं RRT 2011 (1) पृष्ठ 380-371 की कानूनी नजीर पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण पर मनन किया, तनकीवार विवेचन एवं निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी नम्बर-1</u> :- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने को खातेदार एवं बुद्धा का वारिस होना दावा मे बताया है। इसका शपथ पत्र भी पेश किया है नामान्तरकरण संख्या 1392 ग्राम मदा

क्रमशः---

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

कौम धोबी सा० देह खातेदार की मृत्यु होने पर 3 पुत्रों
मानस्वरूप, श्रीमती वेवा भरतलाल व रामवीर, महेन्द्र सिंह,
कृष्ण कुमार पुत्रगण तथा मीरा, कमलेश पुत्रीयान पि० भरतलाल
जाति धोबी सा० देह हाल आबाद, माफ़ी मौजूद के नाम खोले
गये है जो कि वादीगण है। इससे यह भली भांति जाहिर
हो जाता है कि वादीगण भरतलाल पुत्र बुद्धा के वारिस है
प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि होती है। विवादित
आराजी के गैर खसरा नम्बर 122 पर जमाबन्दी सं० 2010-13 में भरता
व रामप्रिय पि० बुद्धा कौम धोबी सा० देह दर्ज रिकार्ड है तथा
ख० नं० 178/1 व 178/2 पर भी भरता व रामप्रिय पि० बुद्धा
हि० 1/3 अन्दर हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा नकल जमाबन्दी सं० 2010-14
में गैर खसरा नम्बर 123 पर भरता व रामप्रिय पि० बुद्धा
हि० बराबर 1/3 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार नकल
जमाबन्दी सं० 2018-21 में विवादित आराजी के गैर खसरा
नम्बर 178/1 व 178/2 तथा ख० नं० 156 पर भरता व रामभजन
पिसरान बुद्धा व हिस्सा बराबर 1/3 अन्दर हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है।
जब कि, नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 बन्दोबस्त विभाग
में उक्त गैर खसरा नम्बरों के हाल खसरा नम्बर 180/1-14, 181/2-07,
263/1-04, 332/1-14 कुल किता 4 कुल रकबा 6-19 बीघा पर से भरता व
रामप्रिय पुत्रगण बुद्धा का नाम बिना किसी अधिकार के
हटा दिया है। इसका बन्दोबस्त को कोई अधिकार नहीं है।
बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का
अधिकार नहीं है। मा० उच्च न्यायालय की कानूनी नजीर
RRT 2008(1) पृष्ठ 151 गंगाराम एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल
राजस्थान में न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि
बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का
अधिकार नहीं है, इस प्रकरण में बन्दोबस्त विभाग द्वारा
विद्यमान अंकन को बिना किसी अधिकार के परिवर्तित
कर वादीगण पूर्वज भरता व रामप्रिय का नाम हटाया है
जो विधि विरुद्ध है एवं खारिज करने योग्य है। चूंकि भरतलाल
व रामभजन कौम के पुत्र है वादीगण उनके विधिक वारिस

क्रमशः-9

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

2.

3.

है इसलिए रामदयाल व भरतलाल के स्थान पर वादीगण विवादित आराजी पर स्वतन्त्र खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। उपरोक्त विवेचन है यह भली भाँति साबित हो जाता है कि विवादित आराजी वादीगण को उपरोक्तानुसार विरासतन प्राप्त हुई है। यह तनकी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-2 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, विवादित आराजी चरण संख्या-1(क) के हाल खसरा नम्बर 180 के गत खसरा नम्बर 122मि पर बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रिकार्ड में भरता व रामदीन शा० एकाकिक रूप से खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा चरण सं 1(ख) की आराजी हाल ख.न. 181 के गत खसरा नम्बर 123मिन पर भरता व रामदीन पि० बुद्धा 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज है तथा चरण संख्या 1(ग) के हाल खसरा नम्बर, 263 के गत ख.न. 178 पर एवं हाल ख.न. 332 के गत ख.नं. 156 पर राजस्व रिकार्ड में बन्दोबस्त से पूर्व भरता व रामदीन हि. 1/3 अन्दर हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। लेकिन बन्दोबस्त ने सन 2022 में उक्त खसरा नम्बरों के हाल नम्बर 180, 181, 263 व 332 पर से भरता व रामदीन का नाम बिना किसी अधिकार के हटा दिया है जो विधि सम्मत नहीं है, अवैध है। वादीगण चूंकि भरता व रामदीन के वारिस है इसलिए उन्हें शुद्ध कराकर अपने नाम के इन्द्राज करा पाने के विधिक अधिकारी है। मौखिक साक्ष्य से उनका कथन भी साबित होता है। इसलिए यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-3 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर-2 के विवेचन है विवादित आराजी में वादीगण का स्वत्व साबित हो जाता है इसलिए वह विवादित आराजी में से अपना हिस्सा पृथक करा पाने के अधिकारी भी है। चूंकि बकौल वादी

क्रमशः-10

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

...रा बरवारे का अनुतोष वापस ले लिया है इसलिए इस तनकी के बावत निर्णय निरस्त किया जाता है।

तनकी नम्बर–4 :– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 व 2 विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी मे खातेदार एव सहखातेदार काश्तकार साबित होते है। इसलिए खातेदार की हैसियत से वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी पाये जाते है। अतः यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर–5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इसको साबित करने के लिए उनकी ओर से कोई दस्तावेजी एव मौखिक साक्ष्य पेश नही की गयी है। जिससे तनकी साबित नही होने के कारण वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर :–6 इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। उनके द्वारा तनकी का साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जिससे यह तनकी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 7 :– इस तनकी का साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। उनके द्वारा तनकी को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही की है इसलिए यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोष :– उपरोक्त तनकीवार विवेचन एव निर्णय के आधार पर हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख०न० हाल 180 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश–11

सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आ०सं०
181 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा स्थित ग्राम मघारिया में वादीगण
के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा
आराजी ख०नं० 263 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा एवं ख०नं 332 रक
01 बीघा 14 बिस्वा में स्थित ग्राम मघारिया में वादीगण को अन्दर
हिस्सा 1/2 में 1/3 भाग का अर्थात 1/6 भाग खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में वर्तमान में दर्ज
रिकार्ड में दुरुस्ती की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ल० 7 के दर्ज
हिस्से को कम किया जाकर वादीगण संख्या 1 ल० 6 के नाम
के इन्द्राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा
प्रतिवादी संख्या 1 ल० 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त
में कोई हस्तक्षेप न करे उन्हें अपने हिस्से की फसल
लाभ लेने से न रोके। पर्चा डिक्री जारी हो। बरवार
अनुतोष के सम्बन्ध में दावा खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14-8-2019 को मेरे
लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(मुकेश कुमार
आर
उपखण्ड अ
राजाखेड़ा (

उपखण्ड
राजाखेड़ा (धौलपुर)